

कार्यालय प्रधानाचार्यः जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज :: कानपुर।

पत्र संख्या- /ई०सी०-1/एन०डी०/2025

दिनांक 02/01/2025

- सूचना -

शासन के पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14 जून 2024 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों को संविदा के आधार पर वाक-इन-इन्टरव्यू माध्यम से घयन के मामलों में नियुक्ति/तैनाती व अभ्यर्थियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु सेवायोजन विज्ञापि संख्या-182/एन०डी०/2024 दिनांक 29-06-2024 के सन्दर्भ में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/द्रामा सेंटर के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापि की गयी है, जिसके आधार पर योगी के उपचार/एन०एम०सी० (एम०सी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एम०एस०एस०आई०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु इन पदों पर घयन वाक-इन-इन्टरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त घयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सामात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापि जारी होने के पश्चात माह के शुरुआत दिनांक 03-01-2025 को परीक्षा हॉल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं-04:00 बजे के मध्य उपस्थित हो। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह सामात्कार के दिवस अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों तथा एन०एम०सी० की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सैनियर रेजीडेन्सी एवं आचार्य हेतु एम०ई०टी०/बी०सी०बी०आर० प्रमाण पत्र की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित भी लायेंगे। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियों एवं नियुक्ति की शर्तें जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट www.gsvmmcdicalcollege.com पर उपलब्ध है। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।


क्र. सं.	विशिष्टता का नाम	संविदा चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या									
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	
1	अध्योपेडिकस	1	अनारक्षित	(4)	1	ओ०बी०सी० अनारक्षित	(57) (58)	1	एस०सी०	(63)	
2	आयुधलोगोलॉजी	0	0	0	1	एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस०	(59) (60)	0	0	0	
3	आक्सट्रेटिक्स एण्ड गायनोकोलाजी	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(65)	0	0	0	
4	इम्यूनो डिमेटोलाजी एण्ड ब्लड ट्रांसप्लान्ट मेडिसिन	1	अनारक्षित	(54)	0	0	0	0	0	0	
5	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	ओ०बी०सी०	(55)	1	अनारक्षित ओ०बी०सी०	(66) (67)	1	ई०डब्ल्यू०एस० एस०सी० अनारक्षित	(110) (111) (112)	
6	एन्डोक्रायनोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	1	अनारक्षित	(36)	1	ओ०बी०सी०	(37)	1	एस०सी०	(59)	
7	एनाटमी	0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० अनारक्षित अनारक्षित ओ०बी०सी०	(39) (40) (51) (76) (86) (87)	
8	एनेस्थीसिया	0	0	0	1	अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० अनारक्षित	(8) (38) (68) (69) (70) (71) (72)	1	1	ई०डब्ल्यू०एस० अनारक्षित एस०सी० एस०सी० ओ०बी०सी०	(10) (14) (15) (115) (119)
9	आई०सी०यू०एनेस्थीसियोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	1	ओ०बी०सी०	(39)	1	ओ०बी०सी०	(39)	0	0	0	
10	ऑटो लैरिंगोलॉजी(ई०एन०टी०)	1	ओ०बी०सी०	(57)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	0	0	0	
11	कम्युनिटी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(12)	1	ओ०बी०सी० ओ०बी०सी० एस०सी० अनारक्षित ई०डब्ल्यू०एस०	(19) (81) (121) (122) (160)	
12	किटिकल केयर आई०सी०यू० (पीएमएसएसवाई)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	1	एस०सी०	(41)	0	0	0	
13	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1	ओ०बी०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० अनारक्षित अनारक्षित एस०सी०	(75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (104) (105) (31)	1	1	ई०डब्ल्यू०एस० एस०टी० एस०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० एस०सी० अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित	(20) (47) (53) (54) (55) (63) (64) (123) (124) (125) (126) (127)
14	जनरल सर्जरी	0	0	0	1	ओ०बी०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी०	(85) (86) (87) (88) (89)	1	1	एस०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० ई०डब्ल्यू०एस० एस०सी० अनारक्षित अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित अनारक्षित एस०सी०	(21) (24) (65) (99) (100) (129) (130) (131) (132) (165) (166) (167) (168) (169) (194)
15	द्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित ई०डब्ल्यू०एस० अनारक्षित	(54) (90) (106)	1	अनारक्षित	(134)	
16	डरमेटोलॉजी (स्कीन एण्ड वी०डी०)	1	ओ०बी०सी०	(65)	1	ओ०बी०सी० ओ०बी०सी०	(91) (107)	0	0	0	
17	न्यूरोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(27)	
18	न्यूरोसर्जरी	1	ओ०बी०सी०	(43)	0	0	0	0	0	0	
19	न्यूरो रेडियोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	1	अनारक्षित	(42)	1	अनारक्षित	(44)	0	0	0	

20	नेफोलोजी, (मैडिसिन) नेफोलोजी(पीएनएसएसवाई)	1	ओपीडीसी (27)	0	0	0	0	0	0	0
21	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	1	एसओसी अनारक्षित ओपीडीसी ईओडब्ल्यूएसओ	(93) (94) (95) (20)	1 1 1 1 1 1 1 1	1	1
22	पेन मैडिसिन (श्रीएनएसएसवाई)	1	एसओसी (45)	1	एसओटी					
23	पैथालोजी	0	0	0	0					
24	फार्माकालोजी	1	एसओसी (48)	1	एसओसी अनारक्षित	(25)	(34)	1		
25	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (श्रीएनएसएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(48)	1		
26	फिजियोलाजी	0	0	0	0					
27	फोरेन्सिक मैडिसिन	1	अनारक्षित (52)	0	0					
28	बायोकेमिस्ट्री	1	ओपीडीसी (51)	1	अनारक्षित	(96)				
29	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	0					
30	युरोलॉजी (श्रीएनएसएसवाई)	0	0	0	0					
31	रेडियोलॉजी	1	ओपीडीसी (37)	1	ईओडब्ल्यूएसओ अनारक्षित एसओसी ईओडब्ल्यूएसओ एसओसी अनारक्षित	(30) (98) (99) (100) (101) (102)	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1	1
32	साइक्रियेट्री	1	अनारक्षित (68)	1	ओपीडीसी	(103)		1	फिजिसिस्ट	
		17		58			81			

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्त निम्नवत है:-

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रु०-2,20,000/-, सहायक आचार्यों का नियत वेतन रु०-1,80,000/-, सहायक आचार्यों को नियत वेतन रु०-1,20,000/- एवं प्रवक्ता फार्मसी पद हेतु-रु० 75000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. शासनदेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
3. शासनदेश सं०-562/71-1-2020-जी-83/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सहायक आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
4. चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को पूर्ववर्ती अभ्यर्थी पर बरीयता प्रदान की जायेगी।
5. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ० प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
6. ओपीडीसी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
8. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये योगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
9. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आक्रामक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत् हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
10. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/वत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
11. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीपी नर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा सतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
12. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की सतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 30 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त समयवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
14. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई भी पेंशन देय नहीं होगी।
15. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमनीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
16. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
17. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुभव पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुभव का करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह नवियुक्त में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमनीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
18. अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
19. उ०प्र० शासन, कर्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० लेखनक के कार्यालय डा० सं०-1/2018/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-ii दिनांक 16-02-2019 के अन्तर्गत ईओडब्ल्यूएसओ (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल आर्थिक आय रु० 8.00 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिवारिक का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के रहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नोट पर देखा जा सकता है।
20. सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अर्हता नवीन एन०एम०सी० गाइड लाइन के अनुसार अनुमन्य होगी।
21. सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
22. जो अभ्यर्थी एम०डी०/एम०एस० के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे बरीयता दी जायेगी।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर



प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर

सं०- 02 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लेखनक को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करे।
 2- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र०।
 3- नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।